BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम)

"भारत में कृषि व्यापार का डिजिटल रूपांतरण"

13 अप्रैल 2026

मुख्य बिंदु

- मार्च 2026 तक 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 1,656 मंडियों का एकीकरण किया गया।
- मार्च 2026 तक **1.80 करोड़ से अधिक किसान**, **2.73 लाख व्यापारी** और **4,724 किसान-उत्पादक संगठन** ईएनएएम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हुए।
- 2016 से मार्च 2026 के बीच **13.25 करोड़ मीट्रिक टन** का संचयी व्यापार दर्ज किया गया, जिसका कुल मूल्य **4.84 लाख करोड़ रुपए** था।
- व्यापार मूल्य 2024 में **3.19 लाख करोड़ रुपए** से बढ़कर 2026 में **4.84 लाख करोड़ रुपए** हो गया, जो बढ़ते पैमाने और गहन बाजार जुड़ाव को दर्शाता है।
- **मार्च** 2026 तक, हाल के समय में **204.76 लाख मीट्रिक टन** कृषि उपज का व्यापार हुआ, जो निरंतर परिचालन गति को दर्शाता है।
- • ई-एनएएम ऐप के ज़रिए मोबाइल-आधारित मूल्य सूचना सेवाओं के तहत **247 वस्तुओं** को शामिल किया गया है।

प्रस्तावना

कृषि लंबे समय से भारत की सामाजिक-आर्थिक संरचना का एक मूलभूत स्तंभ रही है, जो देश के करीब आधे कार्यबल का भरण-पोषण करती है और इसके विकास के पथ को भी आकार देती है। भारत में कृषि विपणन ऐतिहासिक रूप से **कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी)** ढांचे के तहत स्थापित विनियमित मंडियों के नेटवर्क के ज़रिए विकसित

eNAM
Uttam Fasal Uttam Enaam
NATIONAL AGRICULTURE MARKET

हुआ है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में कृषि उत्पादों का संरचित और संगठित आदान-प्रदान सुगम हुआ है।

2016 से पहले, कृषि व्यापार मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन मंडी प्रणालियों तक ही सीमित था और प्रत्येक बाजार अपनी नियामक संरचना द्वारा शासित था। एपीएमसी, एक विकेन्द्रीकृत मॉडल के रूप में, मजबूत स्थानीय व्यापार को सुगम बनाता है, लेकिन **अंतर-राज्यीय बाजार एकीकरण** और व्यापक बाजार पहुंच में सीमाओं को भी उजागर करता है। कृषि उत्पादन के **विस्तार और विविधीकरण** के साथ, एक अधिक एकीकृत बाजार संरचना की ज़रुरत महसूस होती जा रही है, जो बाजार पहुंच को बढ़ाए, दक्षता में सुधार करे और पारदर्शी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करे। इसी बावत, सरकार ने कृषि उत्पादों के लिए एक **एकीकृत राष्ट्रीय बाजार** बनाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच के रूप में **अप्रैल 2016** में **राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम)** की शुरुआत की। मौजूदा मंडियों को डिजिटल रूप से एकीकृत करके, ई-एनएएम देशभर के किसानों, व्यापारियों और खरीदारों के लिए **निर्बाध ऑनलाइन व्यापार, पारदर्शी मूल्य निर्धारण और व्यापक बाजार पहुंच** को सक्षम बनाता है।

एक राष्ट्र, एक बाज़ार: ई-एनएएम का डिजिटल इंजन

ई-एनएएम डिजिटल इकोसिस्टम में एक बहुस्तरीय संरचना शामिल है, जिसमें **वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लिकेशन, समर्पित हेल्पलाइन, मानव सहायता ढांचा और एआई-सक्षम गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली** शामिल हैं। ई-एनएएम किसानों को खरीदारों के **व्यापक और अधिक विविध समूह** तक पहुंच मुहैया कराता है, जिससे बेहतर मूल्य प्राप्ति के अवसर मजबूत होते हैं। यह औपचारिक डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपनाने को प्रोत्साहित करता है, जिससे कृषि विपणन व्यवस्था में अधिक वित्तीय समावेशन और लेनदेन दक्षता में मदद मिलती है।

ई-एनएएम वेब पोर्टल: संपूर्ण डिजिटल कृषि विपणन

ई-एनएएम पोर्टल (enam.gov.in) कृषि उत्पादों के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए **मंडियों को एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार मंच से जोड़कर** संपूर्ण डिजिटल कृषि विपणन की सुविधा प्रदान करता है। इसका बढ़ता नेटवर्क बाजार एकीकरण में वृद्धि को दर्शाता है, जिसके तहत **23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों** में साल **2024 में 1,389 मंडियों** से बढ़कर **मार्च 2026 तक 1,656 मंडियां** जुड़ चुकी हैं।

2016 में शुरू होने के बाद से, ई-एनएएम ने कृषि व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि की है। **2016 से मार्च 2026 तक**, इस मंच के माध्यम से **13.25 करोड़ मीट्रिक टन** कृषि उत्पादों का व्यापार हुआ है, जिससे कुल व्यापार मूल्य **4.84 लाख करोड़ रुपए** तक पहुंच गया है, जो इसके बढ़ते पैमाने और बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। इसके अलावा, सरकार **बुनियादी ढांचे के विकास**, मंडियों को डिजिटल इकोसिस्टम से जोड़ने और समग्र बाजार दक्षता में सुधार के लिए **प्रति मंडी 75 लाख रुपये** तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह वृद्धि इसके बढ़ते हितधारक आधार में भी साफ दिखाई देती है। मार्च 2026 तक, इस प्लेटफॉर्म पर **1.80 करोड़ से अधिक किसान, 2.73 लाख व्यापारी और 4724 किसान-उत्पादक संगठन (एफपीओ)** पंजीकृत हो चुके हैं, जो इसकी व्यापक पहुंच को दर्शाता है।

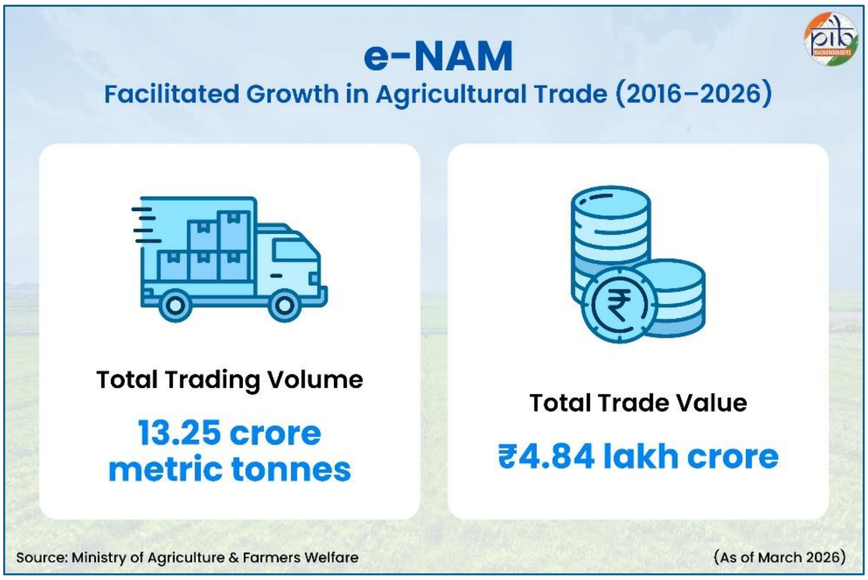

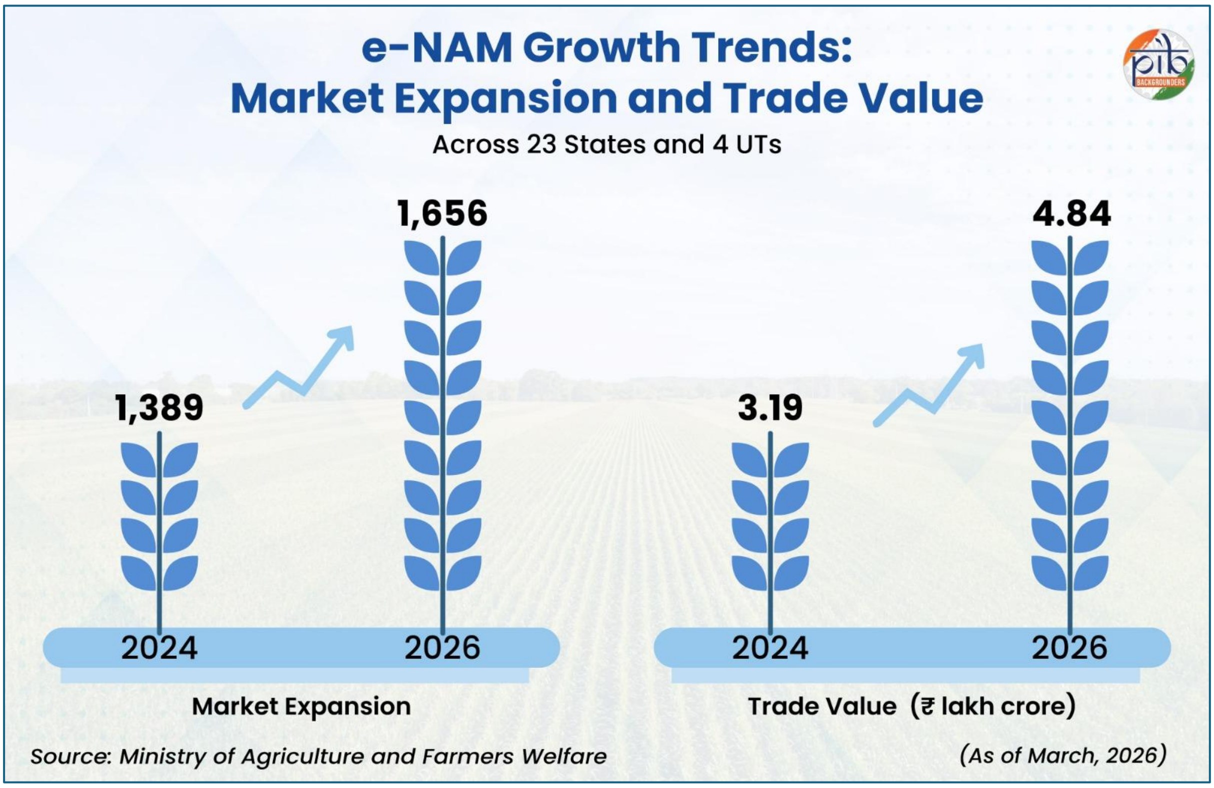

यह पोर्टल **कृषि व्यापार के संपूर्ण चक्र** का समर्थन करता है, जिसमें डिजिटल प्रवेश द्वार, विशिष्ट पहचानकर्ताओं के साथ लॉट निर्माण, गुणवत्ता मूल्यांकन, प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बोली, वास्तविक समय में बोली ट्रैकिंग, मूल्य निर्धारण और किसानों के बैंक खातों में सीधे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, इसमें एक **लाइव डैशबोर्ड** भी है, जो वस्तुवार व्यापार मात्रा, मंडी स्तर पर मूल्य रुझान, हितधारक पंजीकरण और अंतर-राज्यीय व्यापार प्रवाह की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और सोच-समझकर निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

ई-एनएएम पोर्टल - प्रमुख डिजिटल विशेषताएं

- **एकल-विंडो सेवा:** वस्तुओं की आवक, गुणवत्ता जांच, बोली लगाना, भुगतान, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर उलपब्ध
- **विशिष्ट लॉट आईडी ट्रैकिंग:** प्रत्येक लॉट को गेट एंट्री से लेकर अंतिम बिक्री तक मोबाइल के ज़रिए ट्रैक किया जा सकता है
- **लाइव मूल्य डैशबोर्ड:** वास्तविक समय में वस्तुओं के मूल्य, मंडी में आवक, व्यापार की मात्रा, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध
- **12 भाषाओं का इंटरफ़ेस**: हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, बंगाली, तमिल, ओडिया और अन्य भाषाओं में उपलब्ध
- **द्वितीयक बिक्री मॉड्यूल:** प्लेटफॉर्म के भीतर पहले से खरीदे गए लॉट की पुनर्बिक्री को सक्षम बनाता है
- **अंतर-राज्यीय व्यापार सुविधा:** राज्य एकीकृत लाइसेंस व्यापारियों को राज्य सीमाओं के पार बोली लगाने में सक्षम बनाता है

क्लिक से फसल तक: ई-एनएएम का गतिशील विस्तार

अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया **ई-एनएएम मोबाइल ऐप**, व्यापार और बाजार से संबंधित सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक सरल, **मोबाइल-अनुकूल इंटरफ़ेस** प्रदान करके वेब पोर्टल का पूरक है। यह प्लेटफॉर्म की पहुंच स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं तक बढ़ाता है, जिससे किसानों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों को बाजार की जानकारी प्राप्त करने और व्यापारिक गतिविधियों में समय पर और स्थान की परवाह किए बिना भाग लेने में सुविधा मिलती है।

दिसंबर 2025 तक, यह एप्लिकेशन **247 अधिसूचित वस्तुओं** के लिए मुफ्त मूल्य जानकारी प्रदान करता है, जिससे सूचित और समय पर निर्णय लेने में मदद मिलती है।

प्लेटफ़ॉर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रगति **14 जुलाई 2022 को प्लेटफ़ॉर्म ऑफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स (पीओपी)** की शुरुआत थी। यह प्रौद्योगिकी-आधारित ढांचा ई-एनएएम मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए सुलभ एक एकीकृत डिजिटल इंटरफ़ेस के माध्यम से सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराता है। पीओपी के ज़रिए, उपयोगकर्ता कृषि मूल्य श्रृंखला में सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिनमें **लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, गुणवत्ता आश्वासन, ग्रेडिंग और पैकेजिंग, कृषि इनपुट, वित्तीय और बीमा सेवाएं** और मौसम संबंधी अपडेट और फसल पूर्वानुमान जैसी सलाहकारी सहायता भी शामिल हैं।

इसके अलावा, यह प्लेटफ़ॉर्म **ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और निजी कृषि बाज़ार** के खिलाड़ियों के साथ एकीकरण को भी सक्षम बनाता है, जिससे बाज़ार तक पहुंच व्यापक होती है और संपूर्ण व्यापार और संबद्ध सेवाओं को मज़बूत किया जाता है।

समाधान पर ज़ोर: ई-एनएएम व्यवस्था में उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना

ई-एनएएम किसानों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों के लिए एक समर्पित सहायता और शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है। उपयोगकर्ता टोल-फ्री हेल्पलाइन (**1800 270 0224**) के ज़रिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जो राष्ट्रव्यापी प्राथमिक सहायता चैनल के रूप में कार्य करता है, साथ ही nam@sfac.in और enam.helpdesk@gmail.com जैसे आधिकारिक ईमेल आईडी के माध्यम से भी मदद प्राप्त कर सकते हैं।

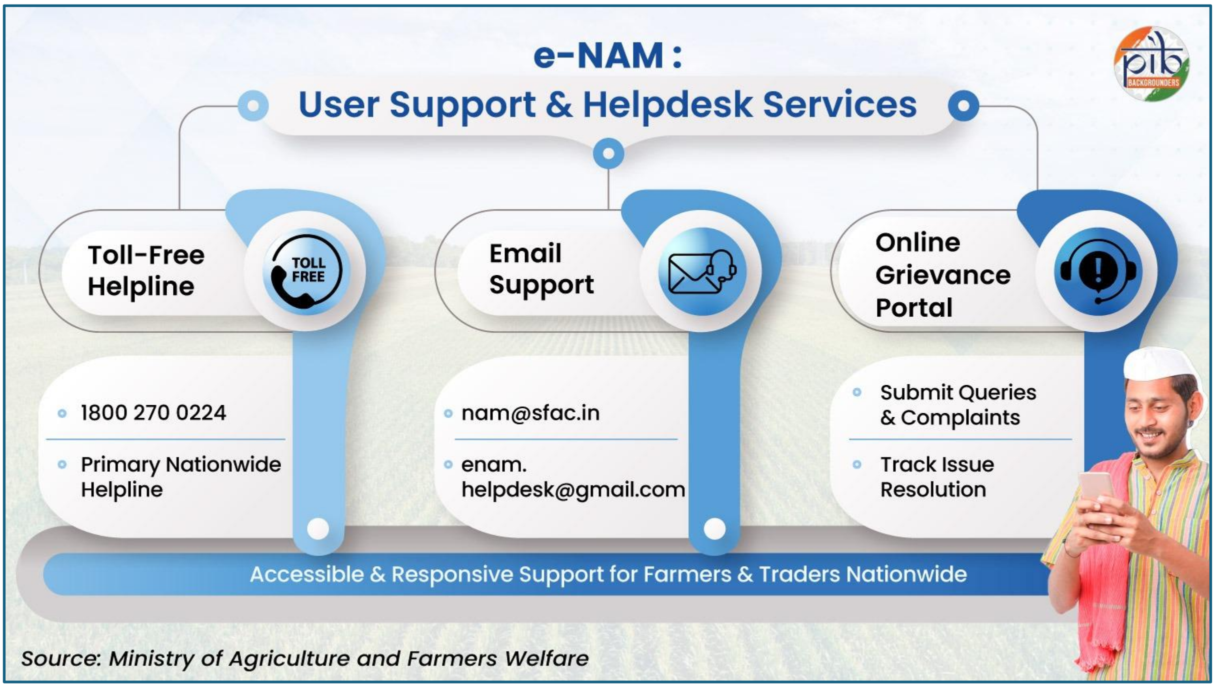

यह प्लेटफॉर्म एक **ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली** प्रदान करता है, जिसके ज़रिए उपयोगकर्ता सीधे पोर्टल पर अपनी पूछताछ और शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। यह एकीकृत सहायता प्रणाली खासकर **किसानों** और डिजिटल बाज़ार में **पहली बार आने वाले उपयोगकर्ताओं** के लिए समस्याओं के समय पर समाधान और निरंतर तकनीकी सहायता मुहैया कराती है।

ई-एनएएम के तहत ई-भुगतान: भुगतान, पारदर्शिता और समावेशन

ई-एनएएम के अंतर्गत ई-भुगतान प्रणाली इसकी डिजिटल संरचना का एक अहम घटक है, जो कृषि बाजारों में निर्बाध वित्तीय लेनदेन को सक्षम बनाती है। **व्यापार और भुगतान** निपटान को एक एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक कार्यप्रणाली के साथ एकीकृत करके, यह मंच पारंपरिक मंडी संचालन को बदलता है और लेनदेन दक्षता को बढ़ाता है। इस प्रणाली के तहत, व्यापार पूरा होने पर **बिक्री की राशि सीधे किसानों के पंजीकृत बैंक खातों में** भेजी जाती है, जिससे **बिचौलियों पर निर्भरता कम** होती है और निपटान प्रक्रिया बेहतर होती है। भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित किए जाते हैं, जिससे **समय पर, सुरक्षित और पारदर्शी लेनदेन** सुनिश्चित होते हैं।

यह प्लेटफॉर्म **एनईएफटी, आरटीजीएस, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई** सहित कई डिजिटल भुगतान माध्यमों को एकीकृत करता है, जिससे यह विभिन्न राज्यों में अनुकूल हो जाता है। इसके अलावा, ई-भुगतान प्रणाली लेन-देन को औपचारिक बनाकर और सत्यापन योग्य वित्तीय रिकॉर्ड तैयार करके **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा** देती है। ये रिकॉर्ड किसानों को **संस्थागत ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच** प्रदान कर सकते हैं।

ई-एनडब्ल्यूआर और ई-एनएएम एकीकरण के ज़रिए फसल कटाई के बाद की व्यवस्था को मज़बूत करना

फसल कटाई के बाद के प्रबंधन को बेहतर करने पर बढ़ते जोर ने वैज्ञानिक भंडारण प्रणालियों को कुशल बाजार पहुंच तंत्र के साथ एकीकृत करने की ज़रुरत को उजागर किया है। इस संदर्भ में, अधिक **सुगम और कुशल कृषि विपणन ढांचा** तैयार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बातचीत योग्य भंडार रसीद **(ई-एनडब्ल्यूआर)** प्रणाली को ई-एनएएम के साथ एकीकृत किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बातचीत योग्य भंडार रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) प्रणाली भंडारित उपज के डिजिटल प्रलेखन, हस्तांतरण और मुद्रीकरण को सक्षम करके फसल कटाई के बाद के कृषि प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार है। **वेयरहाउसिंग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007** के तहत शुरू किया गया, यह एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो वेयरहाउसिंग विकास और नियामक प्राधिकरण (**डब्ल्यूडीआरए**) द्वारा **मान्यता प्राप्त गोदामों** में संग्रहीत वस्तुओं के स्वामित्व को प्रमाणित करता है।

परंपरागत **बातचीत योग्य भंडार रसीद (एनडब्ल्यूआर)** पर आधारित ई-एनडब्ल्यूआर प्रणाली पारदर्शिता, पता लगाने की क्षमता और हस्तांतरण में सुगमता को बढ़ाती है, जिससे वस्तुओं का भौतिक परिवहन किए बिना व्यापार संभव हो पाता है। यह **भंडारण और बाजार पहुंच** के बीच एक अहम कड़ी स्थापित करता है। इसलिए, ई-एनडब्ल्यूआर **वैज्ञानिक भंडारण और स्वामित्व प्रमाणीकरण** को सरल बनाता है और ई-एनएएम भंडारित उपज के कुशल और पारदर्शी व्यापार के लिए एक **राष्ट्रव्यापी डिजिटल मंच** प्रदान करता है।

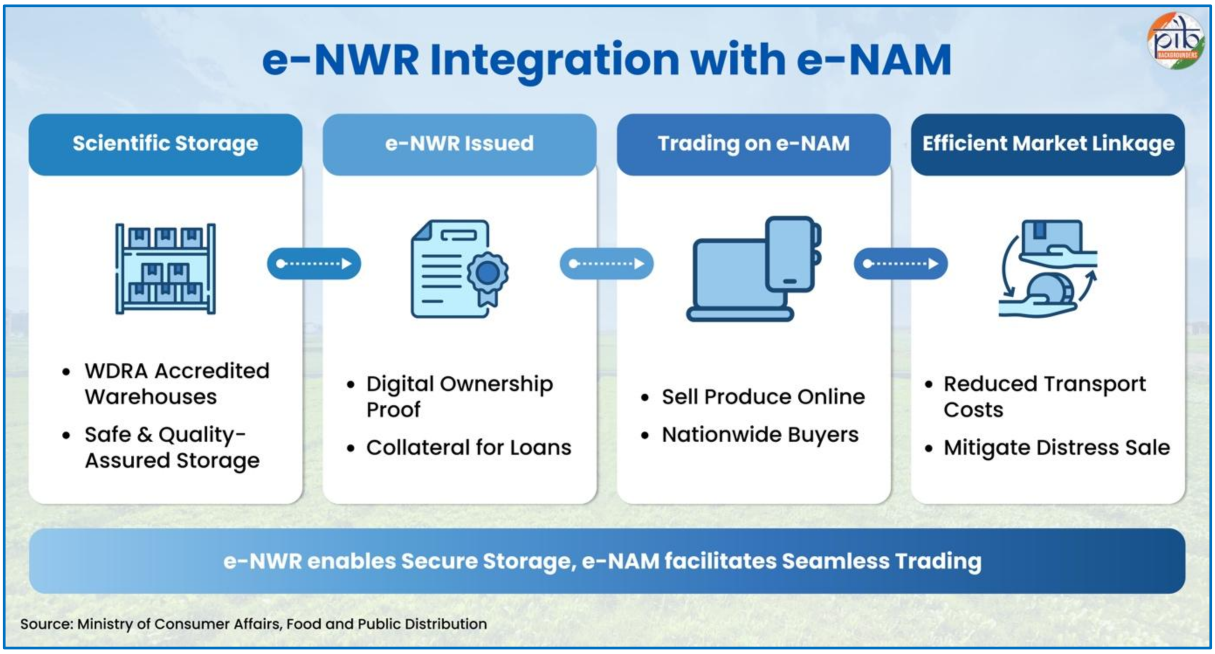

इस एकीकृत ढांचे के तहत, **किसान, व्यापारी और किसान-उत्पादक संगठन (एफपीओ)** अपनी उपज को डब्ल्यूडीआरए-मान्यता प्राप्त गोदामों में संग्रहित कर सकते हैं, ई-एनडब्ल्यूआर प्राप्त कर सकते हैं और सीधे ई-एनएएम प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं। इससे मंडियों तक भौतिक परिवहन पर **निर्भरता कम** होती है, जिससे **रसद लागत और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी** आती है, साथ ही **संकटग्रस्त बिक्री को भी कम** किया जा सकता है।

इसके अलावा, ई-एनडब्ल्यूआर का उपयोग **संस्थागत ऋण प्राप्त करने के लिए कोलेटरल** के रूप में किया जा सकता है, जिससे तरलता बढ़ती है और हितधारकों को **बिक्री के समय को बेहतर करने** में मदद मिलती है। ई-एनएएम की मूल्य निर्धारण और प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की प्रक्रियाओं के साथ जोड़ने पर, यह एकीकरण **बाजार तक पहुंच को मजबूत करता है और बेहतर मूल्य प्राप्ति** सुनिश्चित करता है।

यह प्रणाली भंडारित उपज के मानकीकृत वर्गीकरण और परीक्षण के ज़रिए **गुणवत्ता-आधारित व्यापार** को भी बढ़ावा देती है। गुणवत्ता आश्वासन को बाजार पहुंच के साथ जोड़कर, ई-एनडब्ल्यूआर-ई-एनएएम का एकीकरण **विश्वास बढ़ाता** है, **मानकीकरण को प्रोत्साहित** करता है और **अधिक कुशल एवं पारदर्शी कृषि बाजारों** में योगदान देता है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) भारत में कृषि विपणन के निरंतर बदलाव में एक महत्वपूर्ण कदम है। देशभर की **मंडियों को डिजिटल रूप से एकीकृत** करके और पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-आधारित व्यापार को सुगम बनाकर, इस मंच ने बाजार संबंधों को मजबूत किया है और किसानों तथा अन्य हितधारकों के लिए अवसरों का विस्तार किया है।

इसका एकीकृत डिजिटल व्यवस्था तंत्र, जिसमें **वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लिकेशन, प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (पीओपी)** और संबंधित सहायक अवसंरचना शामिल हैं, ने मूल्य निर्धारण में सुधार किया है, बाजार पहुंच को व्यापक बनाया है और डिजिटल लेनदेन को अपनाने को प्रोत्साहित किया है। **इलेक्ट्रॉनिक बातचीत योग्य वेयरहाउस रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर)** जैसी पूरक पहलों ने **भंडारण, वित्त और बाजार पहुंच को जोड़कर मूल्य श्रृंखला को और मजबूत** किया है।

अपने बढ़ते स्वरूप, **हितधारकों की बढ़ती भागीदारी** और बढ़ते व्यापारिक आंकड़ों के साथ, ई-एनएएम एक अधिक एकीकृत, कुशल और पारदर्शी कृषि विपणन प्रणाली के विकास में योगदान दे रहा है। जैसे-जैसे यह मंच विकसित हो रहा है, यह **बाजार संपर्क को मजबूत करने**, किसानों

के लिए मूल्य प्राप्ति को बढ़ाने और एक **एकीकृत राष्ट्रीय बाजार** की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर स्थिति में है।

संदर्भ

वित्त मंत्रालय

- https://www.indiabudget.gov.in/budget2015-2016/es2014-15/echapvol1-08.pdf

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

- https://darpg.gov.in/sites/default/files/enam_0.pdf
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2241414&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1841544&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2204750&reg=3&lang=1
- https://sansad.in/getFile/annex/268/AU1467_tEU181.pdf?source=pqars
- https://sansad.in/getFile/annex/268/AU669_jC225f.pdf?source=pqars
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU1722_99CmEw.pdf?source=pqals
- https://enam.gov.in/web/enwr-trade
- https://enam.gov.in/web/assest/download/eNAM_Directory_20210720.pdf
- https://enam.gov.in/web/assest/download/Revised-Operational-Guidelines-of-e-NAM.pdf
- https://enam.gov.in/web/contact-us

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1711/AU943.pdf?source=pqals

पीआईबी विश्लेषक

- https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154580&ModuleId=3
- https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149061&reg=3&lang=2
- https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2023/apr/doc2023414181301.pdf
- https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/jul/doc202272071601.pdf

पीआईबी शोध

पीके/केसी/एनएस